

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(ड)( )विधि/मनो./डीएलबी/17/ 4446

दिनांक: 6/10/17

अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6 (1) (क) (ii) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आगामी आदेश अथवा नगरपालिका मण्डल की अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए नगरपालिका, विजयनगर जिला अजमेर में श्री नरेन्द्र वाफना पुत्र श्री दुलीचन्द वाफना को एतद्वारा सहवृत सदस्य मनोनीत किया जाता है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8(ड)( )विधि/मनो./डीएलबी/17/ 4447-58

दिनांक: 6/10/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, सरकार, जयपुर।
02. उप सचिव(ए.एस.), मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार जयपुर।
03. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
05. जिला कलेक्टर, अजमेर।
06. संबंधित समस्त उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि मनोनीत सदस्य को एक माह में नियमानुसार शपथ दिलाने की कार्यवाही करे।
07. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 (क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ कृपया 20 प्रति भिजवाने का श्रम करे।
08. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राज0 जयपुर।
09. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर।
10. सम्बंधित अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, विजयनगर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि मनोनीत सदस्य को अपने स्तर पर सूचित करते हुए उपखण्ड अधिकारी से एक माह में शपथ दिलवाने की कार्यवाही करे।
11. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
12. प्रभारी, मोनेटरिंग सैल, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी